Funds for construction of a bridge over Damodar River in West Bengal

6051. Dr. RANEN SEN: Will the Minister of SHIPPING AND TRANSPORT be pleased to state:

[a] whether West Bengal Government had approached the Centre for funds to constrct a bridge over Damodar River at Sadarghat. and

[b] if so, the decision taken by Government thereon?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAJ BAHADUR): (a) and (b). There has been no request from the Government of West Bengal in the recent past for any Central financial assistance for the construction of the proposed bridge over the river Damodar which falls on a State road In 1967, however, the then State Chief Minister came up with the following proposals:

(i) increase the State Plan ceiling by Rs. 1 crore to accommodate this project;

or

(ii) provide necessary Central financial assistance.

The question of accommodating this work under the State Plan aas also been considered during discussions on the State's Annual Plans from time to time. However, the State Government have not been able to accommodate this project in the State plan nor has it been possible to accede to the request referred to at [i] and [ii) above. In order to facilitate the determination of the precise priority of this project for inclusion in the 5th Five-Year Plan, a suggestion has been made by the Planning Commission for conducting an economic and technical feasibility study. This aspect is being taken up with the State Government.

देश में दुर्घटनाओं के कारण मृत्यु की औसत दर

6052. श्री हुकम चन्द कछवाय : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में दुर्घटनाओं में अनुमानतः मृत्यु का प्रतिवर्ष औसत क्या है ?

संसदीय कार्य तथा नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री राज बहादुर) : राज्य सरकारों और संघ प्रशासनों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 1968, 1969 तथा 1970 मे भारत में सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्रमशः 12,277; 13,472 और 14,490 व्यक्ति मारे गए और जबकि 1967-68; 1968-69 और 1969-70 के दौरान देश में क्रमशः कुल 13,32,000; 14,94,000 और 16,56,000 मोटर गाड़ियां थीं।

राज्यों में हरिजनों के साथ भेदभाव की घटनाओं के बारे में अनुसूची जाति व अनुसूची आदिम जाति आयुक्त को भेजी गई सूचनायें

6053. श्री अम्बेश : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनुसूचित जाति व अनुसूचित आदिम जाति आयुक्त तथा राज्यो मे उनके सहायक आयुक्तों को हरिजनो को सार्वजनिक कुओं से पानी न भरने देने, उनके बच्चो को स्कूल मे न पढ़ने देने तथा उनकी बरातें रोकने के गत तीन वर्षों में, वर्षवार, कितनी घटनाओं की सूचनायें प्राप्त हुई ;

(ख) उनमे से कितने मामले अदालत तक पहुंचे; और

(ग) उनमें से प्रत्येक मामले मे क्या-क्या सजा दी गई ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी):(क) से (ग). जानकारी अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त से एकत्रित की जा रही है और यथासमय उसे सभापटल पर रख दिया जायेगा।